



जनगणना कार्य निदेशालय, उत्तर प्रदेश
भारत सरकार, गृह मंत्रालय
Directorate of Census Operations, Uttar Pradesh
Government of India Ministry of Home Affairs
(विविध प्रशासन अनुभाग)

पत्रांक: वि०प्र०/डीसीओ-यूपी/ए- ३१५५

दिनांक: 11/12/2012

एन.पी.आर. से संबंधित सामग्री की ढुलाई हेतु नियम एवं शर्तें

- कोटेशन के साथ रू० 20000/- (रूपये बीस हजार) मात्र का बैंक ड्राफ्ट, जो आहरण एवं वितरण अधिकारी, जनगणना कार्य निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ के पक्ष में देय हो, अर्नेस्ट मनी के रूप में जमा करना अनिवार्य है।
- कोटेशन जमा करने की अन्तिम तिथि 24.12.2012 को सायं 3.00 बजे तक है। उसके बाद प्राप्त कोटेशनों पर विचार नहीं किया जायेगा। प्राप्त कोटेशन उसी दिन सायं 4.00 बजे खोले जायेंगे।
- कोटेशन दाता द्वारा निर्धारित समय के भीतर एन.पी.आर. से संबंधित सामग्री (संक्षिप्त मकानसूची, नजरी नक्शा एवं चार्ज रजिस्टर की फोटोकॉपी तथा अन्य सामग्री) जिलों में पहुंचायी जानी है। निर्धारित अवधि में ढुलाई न कर पाने पर निविदादाता द्वारा जमा की गई अर्नेस्ट मनी जब्त कर एल-2 फर्म को कार्यादेश जारी कर दिया जायेगा।
- चूंकि जनगणना संबंधी दस्तावेज अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं इसलिए कोटेशन दाता को ढुलाई के दौरान वाहन में लदे सामानों को वर्षा आदि से सुरक्षित रखने हेतु तिरपाल आदि से ढंककर सुरक्षित रूप से पहुंचाना होगा।
- ढुलाई के दौरान सामानों/रिकार्डों की वर्षा एवं अन्य कारणों से क्षतिग्रस्त होने अथवा रिकार्डों को विलम्ब से पहुंचाने की दशा में कोटेशन दाता के विरुद्ध जनगणना अधिनियम-1948 के अंतर्गत कार्रवाई की जायेगी।
- नियम व शर्तों का उल्लंघन करने पर अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जायेगी।
- कोटेशन की दरें किमी० के हिसाब से देनी होंगी तथा इसमें लोडिंग एवं अनलोडिंग सम्मिलित होनी चाहिए तथा सामग्री जिन जिलों में भेजी जायेगी। वहां प्राप्तकर्ता अधिकारी से लखनऊ की दूरी भी प्रमाणित कराना अनिवार्य होगा।
- इस नियम व शर्त पर हस्ताक्षर करके कोटेशन के साथ संलग्न करना आवश्यक है।
- कोटेशन की दरें संलग्न निविदा फार्म पर देना अनिवार्य है तथा इसके नीचे कोटेशन दाता के हस्ताक्षर मुहर सहित करना अनिवार्य है।
- कार्यादेश जारी होने के उपरांत एल-1, एल-2 व एल-3 फर्म की अर्नेस्ट मनी को छोड़कर शेष सभी फर्म की अर्नेस्ट मनी वापस कर दी जायेगी।
- ढुलाई की जाने वाली सामग्री का किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक निविदादाता द्वारा छटां मील, सीतापुर रोड स्थित नेफेड अभिलेखागार में श्री माता प्रसाद, वरिष्ठ पर्यवेक्षक के समक्ष सामग्री का निरीक्षण किया जा सकता है।
- प्राप्त कोटेशनों को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निदेशक, जनगणना कार्य, उ०प्र० के पास सुरक्षित रहेगा।

कोटेशन दाता के हस्ताक्षर
एवं मोहर

(आर०एस०मीना)
उप निदेशक (प्रशा०)



2011

जनगणना भवन, प्लाट संख्या-सी.सी.-1, सेक्टर-जी, अलीगंज, लखनऊ-226 024
Janganna Bhawan, Plot No-C.C.-1, Sector-G, Aliganj, Lucknow-226 024
Phone : 0522-2355211, 2343673, 2341102 Fax : 0522- 2311442 E-mail:dco-utp.rgi@censusindia.gov.in

E:\DCO-UP\Office\UmeshViv.Pra.



जनगणना कार्य निदेशालय, उत्तर प्रदेश
भारत सरकार, गृह मंत्रालय
Directorate of Census Operations, Uttar Pradesh
Government of India Ministry of Home Affairs
(विविध प्रशासन अनुभाग)

पत्रांक: वि०प्र०/डीसीओ-यूपी/ए- 3155

दिनांक: 11 /12/ 2012

निविदा फार्म

निविदा संख्या: वि०प्र०/डीसीओ-यूपी/ए- दिनांक मे दी गई
नियम व शर्तों से मैं पूर्णतः सहमत होते हुए अपनी दरें प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो निम्नवत् हैं:-
दरें

क्र०सं०	वाहन का नाम	वाहन का भाड़ा (लोडिंग व अनलोडिंग सहित) प्रति किमी० के हिसाब से
1	TATA ACE	
2	TATA 407	
3	कैन्टर	

०१-१२/१२

हस्ताक्षर:

नाम:

पता:



2011

जनगणना भवन, प्लॉट संख्या-सी.सी.-1, सेक्टर-जी, अलीगंज, लखनऊ-226 024
Janganna Bhawan, Plot No-C.C.-1, Sector-G, Aliganj, Lucknow-226 024
Phone : 0522-2355211, 2343673, 2341102 Fax : 0522- 2311442 E-mail: dco-utp.rgi@censusindia.gov.in

